

भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची माननीया राष्ट्रपति को सौंपी

प्रविष्टि तिथि: 06 JUN 2024 6:44PM by PIB Delhi

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ आज (6 जून, 2024) 1630 बजे माननीया राष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके द्वारा माननीया राष्ट्रपति को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति सौंप दी गई, जिसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम शामिल हैं।



इसके बाद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों निर्वाचन आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी आम चुनाव 2024 के सफल संचालन के बाद राष्ट्रपिता का आशीर्वाद लेने के लिए राजघाट गए।



एमजी/एआर/एसकेएस/डीवी

(रिलीज़ आईडी: 2023292) आगंतुक पटल : 14

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Tamil , English , Gujarati